संख्या-457 ई-2/तेरह-2006-85/2005

प्रेषक,

मनोज मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 01 मार्च, 2006

विषय :- वर्ष 2006-07 के लिए आबकारी नीति का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-जी-206/दस-लाइसेंस-367(खण्ड-2)/सुझाव आबकारी नीति/2006-07, दिनांक 16 जनवरी,2006, संख्या-जी-207/दस-लाइसेंस-69/देशी मदिरा मूल्य निर्धारण/2006-07, दिनांक 16 जनवरी,2006, संख्या-जी-210/दस-लाइसेंस-367(खण्ड-2)/सुझाव आब0नी0/06-07, दिनांक 17-1-2006, संख्या-जी-212/ दस-लाइसेंस-367 (खण्ड-2)/सुझाव आबकारी नीति/2006-07, दिनांक 19 जनवरी,2006 संख्या-जी-216/पी0एस0/आब0 आयु0/2006-दस-36,69, दिनांक 25 जनवरी,2006 व संख्या-217 दस-लाइसेंस-367-नीति/2006-07, दिनांक 25 जनवरी, 2006 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त वर्ष 2006-07 के लिए आबकारी नीति के सम्बन्ध में जनहित में लिये गये निम्नलिखित निर्णयों को सूचित करने के लिए मुझे निर्देश हुए है :-

दुकानों का व्यवस्थापन :-

(i) वर्ष 2006-07 के लिए आबकारी की समस्त दुकानों (देशी/विदेशी मदिरा एवं बियर) का व्यवस्थापन, नियमावली में विद्यमान प्राविधानों के अनुसार नवीनीकरण/सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।

(ii) जिन दुकानों का व्यवस्थापन नवीनीकरण के माध्यम से नहीं हो पायेगा, उनका तथा नव सृजित दुकानों का व्यवस्थापन गत वर्ष 2005-06 की भांति सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। नवीनीकरण एवं सार्वजनिक लाटरी हेतु प्रति प्रार्थना-पत्र पर प्रोसेसिंग फीस के रूप में रू0 2000/- देय होगा।

(iii) नवीनीकरण केवल उसी दशा में अनुमन्य होगा, जबकि अनुज्ञापी द्वारा वर्ष 2005-06 के अवशेष सभी बकायों का भुगतान कर दिया हो।

(iv) भांग की दुकानों का व्यवस्थापन पूर्व की भांति उ0प्र0 आबकारी लाइसेन्स (टेन्डर एवं नीलाम) नियमावली, 1991 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत नीलाम प्रणाली से कराया जाए।

01/3/06

3- देशी मदिरा :-

(3.1) न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा-

वर्ष 2005-06 में वर्तमान दुकानो में देशी मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा 36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में 18.55 करोड़ ब0ली0 व्यवस्थापित है, जिसमें दुकानों के प्रास्थिति के अनुसार निम्नानुसार वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है-

कमांक	निकाय	एम0जी0क्यू0 में प्रस्तावित वृद्धि (प्रतिशत में)
1	नगर निगम	8 प्रतिशत
2	नगर पालिका	8 प्रतिशत
3	नगर पंचायत	7 प्रतिशत
4	ग्रामीण क्षेत्र	5 प्रतिशत

आप द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार देशी मदिरा की वर्तमान दुकानों के कोटे में वृद्धि से वर्तमान कोटे 18.55 करोड़ ब0ली0 में 1.29 करोड़ ब0ली0 की वृद्धि होगी अर्थात वर्तमान दुकानो के लिए अगले वर्ष की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा 19.84 करोड़ ब0ली0 (36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में) हो जायेगी। अतः नव सृजित दुकानो का कोटा उक्त 19.84 करोड़ ब0ली0 के अतिरिक्त होगा।

उपरोक्तानुसार देशी मदिरा की वर्तमान दुकानों, जिनकी संख्या-11325 बतायी गई है, के कोटे में उनकी प्रास्थितिवार उपरोक्तानुसार वृद्धि करते हुए, उनका व्यवस्थापन निम्न प्रक्रिया के अनुसार किया जाए :-

(क) प्रथम चरण मे दुकानो के वर्तमान एम0जी0क्यू0 मे उपरोक्तानुसार वृद्धि करते हुए नवीनीकरण कराने का आफर वर्तमान अनुज्ञापियों को दिया जायेगा।

(ख) द्वितीय चरण में नवीनीकरण से अवशेष दुकानो के कोटे में यथावत वृद्धि पर ही आवेदन-पत्र आमंत्रित कर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से दुकानो का व्यवस्थापन कराया जायेगा।

(ग) तृतीय चरण में उक्त प्रक्रिया के पश्चात भी यदि व्यवस्थापन से दुकाने अवशेष रह जाती है तो उनको वर्ष 2005-06 के कोटे पर आफर मॉग कर व्यवस्थापित कराया जायेगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापित कराया जायेगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि किसी भी दुकान का व्यवस्थापन उसके वर्तमान कोटे से कम कोटे पर नही किया जायेगा व किसी भी जनपद के 2006-07 के लिए निर्धारित कोटे में कोई कमी अनुमन्य नही होगी।

(घ) नवीनीकरण व सार्वजनिक लाटरी हेतु प्रत्येक प्रार्थना-पत्र पर एवं प्रोसेसिंग फीस के रूप में रू0 2000/- का शुल्क लिया जायेगा।

(च) देशी मदिरा के दुकानों के लिए नवीनीकरण फीस वर्ष 2005-06 की भांति वर्ष 2006-07 (नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत व ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्रमशः रू0 12,000/-, 10,000/-, 7,000/- व 4,000/-) में भी यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

3 [illegible]
01/3/06

(3.2) बेसिक लाइसेन्स फीस एवं प्रतिफल शुल्क-

वर्ष 2006-07 हेतु निर्धारित देशी मदिरा की बेसिक लाइसेन्स फीस की दर रू0 15/- प्रति ब0ली0 तथा प्रतिफल शुल्क की दर रू0 85/- प्रति ब0ली0 (36 प्रतिशत वी0/वी0) किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(3.3) देशी मदिरा की श्रेणियां एवं मूल्य निर्धारण :-

देशी मदिरा की वर्तमान प्रचलित चार श्रेणियां - 42.8 प्रतिशत वी/वी, 36 प्रतिशत वी0/वी, 25 प्रतिशत वी/वी, व 20 प्रतिशत वी/वी के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2006-07 में देशी मदिरा की केवल 02 श्रेणियां 36 प्रतिशत वी0/वी0 (गन्नालेदार) व 25 प्रतिशत वी0/वी0 (सादी) रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त दोनो श्रेणियों के थोक व फुटकर विक्रय मूल्य संलग्नक-1, (हस्ताक्षरित) के अनुसार निर्धारित किये जाए।

(3.4) देशी मदिरा की आपूर्ति-

देशी मदिरा की आपूर्ति वर्ष 2005-2006 की भांति वर्ष 2006-07 में भी सी0एल0-2 के माध्यम से कराई जायेगी तथा सी0एल0-2 की लाइसेंस फीस यथावत रू0 10 लाख प्रतिवर्ष होगी। साथ ही वर्ष 2006-07 में केवल प्रदेश की आसवनियों के लिये ही सी0एल0-2 अनुज्ञापन स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

(3.5) देशी मदिरा की नई दुकानों का सृजन-

आबकारी आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह वर्तमान दुकानों की संख्या के 10 प्रतिशत तक देशी मदिरा की नई दुकानें सृजित कर सकते हैं एवं नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन वर्ष के आरम्भ में ही आफर/टेण्डर मॉगकर किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि किसी भी नवसृजित दुकान की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा 3000 ब0ली0 वार्षिक से कम का आफर स्वीकार नही किया जाएगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर दुकान का व्यवस्थापन सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।

(3.6) देशी मदिरा की निर्यात पास फीस-

देशी मदिरा की निर्यात पास फीस वर्ष 2005-06 में रू0 10/- प्रति एल्कोहल लीटर है, जिसे वर्ष 2006-07 में यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

4- विदेशी मदिरा-

(4.1) विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन उनकी वार्षिक लाइसेंस फीस में उनकी प्रास्थिति के अनुसार निम्नानुसार वृद्धि करके प्रथम विकल्प के रूप में नवीनीकरण के रूप में किया जायेगा :-

क्रमांक	निकाय	लाइसेंस फीस में प्रस्तावित वृद्धि (प्रतिशत में)
1	नगर निगम	15 प्रतिशत
2	नगर पालिका	15 प्रतिशत
3	नगर पंचायत	10 प्रतिशत
4	ग्रामीण क्षेत्र	8 प्रतिशत

01/3/06

प्रतिबन्ध यह होगा कि जो दुकान इस वर्ष जिस श्रेणी में है, वह उसी श्रेणी में ही अथवा उसके ऊपर की श्रेणी की उपरोक्तानुसार बढ़ी हुई लाइसेंस फीस में बिक्री के आधार पर पूर्ववत् प्रचलित प्रक्रियानुसार नवीनीकरण के रूप में अनुमन्य होगी। किसी भी दुकान का नवीनीकरण उसकी वर्तमान श्रेणी से निम्न श्रेणी में नहीं किया जायेगा। नवीनीकरण से अवशेष दुकानों का व्यवस्थापन बढ़ी हुई लाइसेंस फीस पर तथा नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन नियत लाइसेंस फीस पर आवेदन पत्र मांग कर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।

(4.2) विदेशी मदिरा की दुकानों का नवीनीकरण फीस वर्ष 2005-06 की भांति वर्ष 2006-07(नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत व ग्रामीण क्षेत्र में क्रमशः रू0 22,000, 16,000, 11,000 व 4,000 प्रति दुकान) में यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(4.3) विदेशी मदिरा पर प्रतिपल्ल शुल्क एवं मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार विदेशी मदिरा की सभी दस श्रेणियों को यथावत रखते हुए स्कॉच एंव सुपर प्रीमियम के प्रतिपल्ल फीस में रू0 16/- प्रति ली0 तथा अन्य ब्राण्डों की प्रतिपल्ल फीस में रू0 6/- प्रति ली0 की वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है।

विदेशी मदिरा के मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया पूर्व की भांति यथावत रहेगी।

(4.4) विदेशी मदिरा की आपूर्ति पूर्व की भांति एफ0एल0-2 के माध्यम से कराये जाने व वार्षिक लाइसेंन्स फीस यथावत रू0 05 लाख रखने का निर्णय लिया गया है।

(4.5) विदेशी मदिरा पर आयात एवं निर्यात फीस तथा विदेशी मदिरा की बोतल भराई शुल्क यथावत रखने का निर्णय लिया गया है।

(4.6) वाईन पर आयात शुल्क वर्ष 2005-06 की भांति वर्ष 2006-07 में रू0 03/- प्रति ली0 यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(4.7) ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस रू0 25,000/- के स्थान पर रू0 26,000/-तथा विदेशी मदिरा कि लेबुलो का अनुमोदन फीस रू0 10,000/- के स्थान पर रू0 11,000/- करने का निर्णय लिया गया है।

एफ0एल0-1, एफ0एल0-1ए , एफ0एल0-2ए, बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए/2बी/2सी/2डी के अनुज्ञापनों की लाइसेन्स फीस यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(4.8) <u>विदेशी मदिरा की दुकानों का सृजन-</u>

आबकारी आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वे विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की वर्तमान दुकानो की संख्या में 10 प्रतिशत तक वृद्धि करके नई दुकाने सृजित कर सकते है, किन्तु उनका व्यवस्थापन वर्ष के प्रारम्भ में ही करा दिया जाए। नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन नियत लाइसेन्स फीस पर आवेदन-पत्र मॉगकर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जाएगा।

01/3/06

5- समुद्रपार से आयातित विदेशी मदिरा-

समुद्रपार से आयातित विदेशी मदिरा की थोक व फुटकर बिक्री के लिए सृजित एफ0एल0-2डी की वार्षिक लाइसेन्स फीस यथावत रू0 50,000/- रखी जाए।

(5.1) विदेशी मदिरा की बोतल भराई व बिक्री प्रचलित अन्य धारिता के साथ-साथ 02 ली0 की धारिता में तथा सुपर प्रीमियम व स्कॉच श्रेणी की विदेशी मदिरा की बोतल भराई व बिक्री 60 एम0एल0 धारिता की बोतलो में किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिनका बोतल भराई शुल्क प्रचलित धारिता की बोतल भराई शुल्क दरों के समानुपातिक होगा।

6- बियर

(6.1) बियर की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन नवीनीकरण के माध्यम से तथा नवीनीकरण से अवशेष व नई दुकानो का व्यवस्थापन सार्वजनिक लाटरी प्रणाली के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

(6.2) बियर की फुटकर बिक्री की दुकानों का नवीनीकरण फीस वर्ष 2005-06 की भांति वर्ष 2006-07 (नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत व ग्रामीण क्षेत्र में क्रमशः रू0 22,000/-, 16,000/-, 11,000/- व 4,000/- प्रति दुकान) में भी यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(6.3) नवीनीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन-पत्र एवं सार्वजनिक लाटरी प्रणाली के माध्यम से व्यवस्थापित होने वाली दुकानो के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र एवं प्रोसेसिंग के रूप में रू0 2000/- लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

(6.4) बियर की दुकानों की लाइसेन्स फीस व नव सृजित दुकानो की लाइसेन्स फीस वर्ष 2005-06 की भांति वर्ष 2006-07 में भी यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(6.5) बियर की निर्यात शुल्क, बियर साइडर, पोर्टर, एल0 एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर आयात शुल्क/निर्यात शुल्क, बोतल भराई, शुल्क की वर्तमान दरो को यथावत रखे जाने का निर्णया लिया गया है।

(6.6) बियर की फुटकर बिक्री की दुकानों की संख्या में वृद्धि -

आबकारी आयुक्त को यह अधिकार होगा कि बियर की वर्तमान दुकानों की संख्या में 10 प्रतिशत की वृद्धि करके नई दुकानें सृजित कर सकते है, किन्तु नव सृजित दुकानों का व्यवस्थापन नवीनीकरण से अवशेष दुकानों के साथ एवं वर्ष के प्रारम्भ में ही किया जाए।

नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन नियत लाइसेन्स फीस पर आवेदन-पत्र मॉगकर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जाएगा।

(6.7) बियर की 650 एम0एल0, 330 एम0एल0 तथा 300 एम0एल0 धारिता की बोतलो के साथ ही 500 एम0एल0 धारिता की बोतलों में बियर की बिक्री अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी बोतल भराई शुल्क भी समानुपातिक होगी।

(6.8) बियर का थोक लाइसेन्स फीस (एफ0एल0-2बी) बियर की लेबुलों का अनुमोदन फीस, बियर का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस, बियर पोर्टर, साइडर, एल0 एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बोतल भराई शुल्क इत्यादि को वर्ष 2005-06 की भांति वर्ष 2006-07 में भी यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

01/3/06

(6.9) बियर, वाईन, कम तीव्रता के मादक पेय ब्राण्डों का रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2005-06 की भांति वर्ष 2006-07 में भी यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

7- <u>बार लाइसेन्स की फीस में वृद्धि-</u>

(क) वर्ष 2006-07 में सभी श्रेणी की बार लाइसेन्सों की लाइसेन्स फीस में (बियर बार को छोड कर) समान रूप से 10 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है। दरों की समयावधि पूर्ववत रहेगी।

(ख) वर्तमान में विवाहोत्सव आदि के लिए अकेजनल बार लाइसेन्स के लिए निम्नानुसार लाइसेन्स फीस में वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

वर्तमान फीस		2006-07 के लिए प्रस्तावित फीस	
(क) लाभ अर्जित न करने वाले क्लाबों/संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए	100/- रू0 प्रति दिन	(क) लाभ अर्जित न करने वाले क्लाबों/ संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए	रू0 500/- प्रति दिन
(ख) लाभ अर्जित करने वाले वाणिज्यिक संस्थाओं और होटल आदि के लिए	1000/- रू0 प्रति दिन	(ख) लाभ अर्जित करने वाले वाणिज्यिक संस्थाओं/ और होटल आदि के लिए	रू0 3000/- प्रति दिन

8- <u>माडल शॉप</u>

(8.1) <u>माडल शॉप की दुकानों का व्यवस्थापन-</u>

माडल शॉप की वर्तमान दुकानो का नवीनीकरण किया जायेगा, जिसके लिए कोई नवीनीकरण फीस नही ली जायेगी केवल आवेदन-पत्र एवं उसकी प्रोसेसिंग फीस रू0 5000/- प्रत्येक आवेदन-पत्र लिया जायेगा।

(8.2) <u>माडल शॉप की दुकानों का लाइसेन्स फीस-</u>

वर्ष 2005-06 की भांति वर्ष 2006-07 में यथावत रखा जाने का निर्णय लिया गया।

9- <u>अन्य आदेश</u>

(9.1) वर्ष 2006-07 के लिए पोरततृण पर रू0 5/- प्रति कि0ग्राम की दर से रेगुलेटरी फीस अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(9.2) विदेशी मदिरा को निजी उपभोग हेतु कब्जे में रखने की वर्ष 2005-06 में निर्धारित की गयी सीमा वर्ष 2006-07 में यथावत रहेगी तथा डिनेचर्ड स्प्रिट (विकृत सुरा) को क़ब्जे में रखने की सीमा 02 ली0 से बढ़ाकर 03 ली0 प्रति व्यक्ति किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(9.3) देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर, वाइन व अन्य-अल्कोहलिक ब्रिवरीज के अविक्रीत स्टाक के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 प्रत्येक लाइसेन्सी से उपरोक्त अविक्रीत स्टाक की घोषणा 31 मार्च, 2006 को कराना सुनिश्चित करेगें तथा यह सुनिश्चित करेगे कि लाइसेन्सियों द्वारा अगले वित्तीय वर्ष 2006-07 में वर्ष 2005-06 की देशी शराब की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की बिक्री न की जाएं।

01/3/06

10- वर्ष 2006-07 में आबकारी राजस्व का लक्ष्य

वर्ष 2006-07 के लिए राजस्व प्राप्ति का राजस्व प्राप्ति का मदवार लक्ष्य निम्नवत् निर्धारित किया गया है:- (करोड़ रूपये में)

1-	देशी शराब - प्रतिफल फीस, लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियां	-- 1980.00
2-	विदेशी मदिरा - प्रतिफल फीस, लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियां	-- 1050.00
3-	बियर- प्रतिफल फीस, लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियां	-- 170.00
4-	अन्य मद-	-- 200.00
	योग - (चौंतीस सौ करोड़ मात्र)	-- 3400.00

राजस्व प्राप्ति के लिए कार्य-योजना बनाकर समस्त सम्बन्धित को सूचित करते हुए शासन को दिनांक 15 मार्च, 2006 तक उपलब्ध करा दिया जाए।

11- देशी/विदेशी मदिरा एवं बियर की दुकानो के व्यवस्थापन एवं आपूर्ति आदि के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्राविधान यथावत रहेंगे।

12- प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने हेतु आबकारी विभाग द्वारा नियमित रूप से प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, ताकि राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित् हो सके।

13- उपरोक्तानुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जिन अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं में संशोधन/परिवर्तन/अपमार्जन की कार्यवाही अथवा नये नियम/नियमावलियों तथा अधिसूचनाओं का प्रख्यापन किया जाना हो, उसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके 31 मार्च, 2006 से पूर्व प्रख्यापन कराया जाना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए, जिन अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं का संशोधन/परिवर्तन/अपमार्जन शासन स्तर से किया जाना है, उसका प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर (हिन्दी व अंग्रेजी में) एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में अवश्य उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि समय से आगामी कार्यवाही की जा सकें। प्रश्नगत संशोधनों को समय से सुनिश्चित कराने हेतु आबकारी आयुक्त स्तर पर मार्च, 2006 के अन्तिम सप्ताह में गहन समीक्षा भी कर ली जाय, ताकि भविष्य में कोई विधिक कठिनाई उत्पन्न न होने पाये।

भवदीय,

01/3/06

(मनोज मिश्र)
संयुक्त सचिव।